

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।

पत्रांक— 3065 / 15-1 दिनांक, प्रयागराज, 19 फरवरी, 2025।
मार्च

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उ०प्र०, लखनऊ।

ऑनलाइन प्रस्ताव सं०—FP/UP/TRANS/155338/2015

विषय:— 765 के०वी० सिंगल सर्किट मैनपुरी-बारा पारेषण लाइन सर्किट-1 के निर्माण कार्य में कानपुर नगर वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित संरक्षित वन भूमि 0.3456 हे० एवं 18 वृक्षों के पातन, कानपुर देहात वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित संरक्षित वन भूमि 0.8064 हे० एवं 37 वृक्षों के पातन, प्रयागराज (इलाहाबाद) वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित संरक्षित वन भूमि 0.4288 हे० एवं आरक्षित वन भूमि 14.4106 हे० तथा 2460 वृक्षों के पातन, औरैया वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित आरक्षित वन भूमि 1.3685 हे० तथा संरक्षित वन भूमि 0.3456 हे० अर्थात् कुल प्रभावित वन भूमि 1.7141 हे० एवं 220 वृक्षों के पातन, मैनपुरी वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित संरक्षित वन भूमि 1.4145 हे० एवं 16 वृक्षों के पातन एवं फतेहपुर वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित संरक्षित वन भूमि 2.1504 हे० व 67 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 5.4913 हे० संरक्षित वन भूमि एवं 15.7791 हे० आरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 21.2704 हे० के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल 2818 वृक्षों के पातन के अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:— आपका पत्रांक—1025 / 11—सी—FP/UP/TRANS/155338/2015, दिनांक—15.10.2024
महोदय,

उपरोक्त विषयगत सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रयागराज वन प्रभाग के अन्तर्गत पूर्व में चयनित 39.8038 हे० अवनत वन भूमि के स्थान पर आवश्यक 42.5408 हे० अवनत वन भूमि से सम्बन्धित समस्त अभिलेख (KML File, जियो रेफरेन्स डिजिटल मैप, टोपो शीट, CA का प्राक्कलन, भूमि उपयुक्तता प्रमाण पत्र, CA चेकलिस्ट, फार्म-क का भाग-2 एवं DSS Analysis रिपोर्ट) परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर संशोधित प्रस्ताव आपकी सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक:—यथोपरि।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार यादव)

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।